

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा
प्रशासन गण्डों के संग अभियान 2021 कैम्प बिटाडा

प्रकरण संख्या / ११३/२१

दिनांक :- १०-११-२०२१

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
उनवान

श्री कल्याण पुत्र हीरा रेणु वनाम सरकार जरिये तहसीलदार
जहाजपुर जिला भीलवाडा

::: आदेश :::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज,
पटवारी हल्का बिटाडा भू. अ. नि. कुतापिा एवं नायब तहसीलदार
/तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुशंभा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जीरा प. ह. बिटाडा
की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत २०१५-११ के खाता संख्या १११ में
प्रार्थीगण की प्रविष्टि कल्याण पुत्र हीरा रेणु
के स्थान पर कल्याण पुत्र हीरा रेणु
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश
जारी किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत की जाये।

Dr
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री कल्याण पुत्र हीरा रेणु
3. रक्षित पत्रावली

Dr
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा